न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम 22 / 2017

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

संजय कोईरी वगैरह..... प्रथम पक्ष

बनाम

अजय कोईरी वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
25/09/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी सं०–02 / 2017 दिनांक–12 / 02 / 2017 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। घरेलु बंटवारा को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में उभय पक्ष में तनाव है। **प्रथम पक्ष गवाही–** प्रथम पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 मोसमात लखीमनी ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह केस संजय कोईरी ने अजय कोईरी के ऊपर किया है। बाड़ी में पानी पटवन को लेकर उभय पक्ष में मारपीट हुआ। जगह जमीन का हिस्सा बंटवारा हो चुका है। अजय कोईरी एवं संजय कोईरी एक ही बाप के पुत्र हैं। माँ अलग–अलग है, संजय एवं अजय के पिता मेरा अपना दामाद है, मेरे दामाद की दोनों पत्नी अलग–अलग रहती है, चंदनडीह में अजय कोईरी भाड़ा घर में रहता है, अभी उभय पक्ष कभी शांति से रहते हैं कभी झगड़ा होते रहते हैं। गवाह सं०–02 संजय कोईरी (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि घरेलू बंटवारा को लेकर झगड़ा हुआ था मुझे अजय कोईरी मारा था। दोनों पक्षों में ग्रामीण द्वारा एवं पुलिस द्वारा बंटवारा किया गया है। अजय कोईरी बंटवारा को नहीं मानता होगा तब ही झगड़ा होता है। इस केस के बाद भी गाली–गलौज किया है, द्वितीय पक्ष द्वारा गाली–गलौज का तिथि याद नहीं है। जिस संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ है वह संपत्ति मेरी नानी का है, मेरी माँ अजय की माँ को मारी थी, थाना पुलिस हुआ था लेकिन हमलोगों के बीच में समझौता हो गया था। **द्वितीय पक्ष गवाही–** द्वितीय पक्ष की ओर से गवाह सं०–01 कमली देवी ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह केस जमीन विवाद को लेकर हुआ है। इसमें मारपीट भी हुआ है यह जमीन मेरी माता की जमीन है जमीन में सही से हिस्सा बंटवारा नहीं मिल रहा है, सही से हिस्सा बंटवारा मांगने पर हमलोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं।	

क्रमशः पृ०सं०–02...

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

इस केस के होने के बाद भी प्रथम पक्ष लड़ाई झगड़ा किया है। इस केस में संजय कोईरी मुझे गाली गलौज या मारपीट नहीं किया है। गोविन्द कोईरी इस केस के बाबत में मुझे नहीं मारा है और ना ही गाली गलौज किया है। ऐसी बात नहीं है कि संजय कोईरी को अजय कोईरी एवं कान्ती देवी ने पीटा है तथा गाली गलौज किया है।

गवाह सं०–02 अजय कोईरी (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मुझे संजय, सुनीता और गोविन्द कोईरी केस किए हैं, जमीन बंटवारा को लेकर विवाद हो रहा था, विवादित जमीन मेरी नानी का है, मेरी नानी का लड़का नहीं है, बेटी है तीन। तीनों पुत्री के बीच में सही से बंटवारा नहीं हुआ है इसे ही लेकर विवाद हुआ है, मेरी माँ हिस्सा बंटवारा को लेकर बोलती है तो प्रथम पक्ष लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को झगड़ा करता है जब द्वितीय पक्ष बंटवारा का मांग करता है तो प्रथम पक्ष झगड़ा करने लगता है। यह बात गलत है कि मैं प्रथम पक्ष को मार पीट किया हूँ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में संपत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद है। उभय पक्ष भाई–भाई है। सारे गवाहों एवं कारण पृच्छा से ज्ञात होता है कि विवाद का प्रमुख कारण संपत्ति का बंटवारा है जिससे द्वितीय पक्ष असंतुष्ट है। चूँकि संपत्ति के बंटवारा का निर्णय लेने हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है। आहत पक्षकार सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

25/09/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू राँची।